हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2012

संख्या लैज० 7/2012.— हरियाणा मुर्रहा बॅफॅलो ऐण्ड ॲदॅर मिल्च ऐनिमल ब्रीड (प्रेजॅवेशॅन एण्ड डिवे'लॅपमॅन्ट ऑव ऐनिमल हॅज्-बॅन्-ड्रि एण्ड डेऑर्-इ डिवे'-लॅपमॅन्ट से'क्-टॅ) ॲमेन्डमॅन्ट ऐक्ट, 2012, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2012, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रमाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2012 का हरियाणा अधिनियम संख्या - 5

हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2012

हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है।

2001 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) "दुग्ध प्लांट" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 या समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या विनिर्माता द्वारा स्वामित्वाधीन तथा हरियाणा राज्य की सीमाओं के भीतर क्रियाशील कोई प्लांट किन्तु उनमें हरियाणा राज्य के भीतर दुग्ध प्लांटों को दुग्ध की आपूर्ति करने

वाले दुग्ध द्रुतशीतन केन्द्र तथा ऐसे भुगतान के प्रामाणिक सबूत की प्रस्तुति के अध्यधीन उक्त प्लांटों को उन द्वारा आपूर्ति किए गए दुग्ध की मात्रा पर उपकर का भुगतान करने वाले, शामिल नहीं हैं; तथा किसी अनुसंधान संस्था/विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुसंधान तथा शैक्षणिक सुविधाएं देने में लगा सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन कोई प्लांट।"।

मनजीत सिंह,
सचिव,
हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

49961-L.R.-H.G.P., Chd.

(2)

KULDEEP